मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक ११ सन् २०१५

मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, २०१५

विषय-सूची

खण्ड :

भाग एक
प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

भाग दो
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, १९९६ का संशोधन

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९९६ का २७ का संशोधन.
३. धारा ७ का संशोधन.

भाग तीन
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, १९९६ का संशोधन

४. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९९६ का २८ का संशोधन.
५. धारा ३ और ११ का संशोधन.

भाग चार
ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० का संशोधन

६. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९७० का ३७ का संशोधन.
७. धारा ७ और १३ का संशोधन.

भाग पांच
कारखाना अधिनियम, १९४८ का संशोधन

८. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९४८ का ६३ का संशोधन.
९. धारा ६५, ६६ और ७९ का संशोधन.

भाग छह
औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ का संशोधन

१०. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९४७ का १४ का संशोधन.
११. धारा २क, २५च, और २५ट का संशोधन.

भाग सात
अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, १९७९ का संशोधन

१२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९७९ का ३० का संशोधन.
१३. धारा ४ का संशोधन.

भाग आठ

मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१ का संशोधन

१४. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९६१ का २७ का संशोधन.
१५. धारा ३ का संशोधन.

भाग नौ

कतिपय श्रम विधियों के अधीन अपराधों का प्रशमन तथा विचारण का उपशमन

१६. मध्यप्रदेश राज्य में कतिपय श्रम विधियों के अधीन अपराधों का प्रशमन.

भाग दस

विभिन्न प्रकार की पंजियों के संधारण तथा विभिन्न प्रकार की विवरणियां प्रस्तुत किए जाने से छूट

१७. मध्यप्रदेश राज्य में कतिपय श्रम विधियों के अधीन विभिन्न प्रकार की पंजियों के संधारण तथा विभिन्न प्रकार की विवरणियां प्रस्तुत किए जाने से छूट.

भाग ग्यारह

विविध उपबंध

१८. नियम बनाने की शक्ति.
१९. कठिनाईयों का दूर किया जाना.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०१५

मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, २०१५

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रुप में,—

(एक) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, १९९६ (१९९६ का २७)

(दो) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, १९९६ (१९९६ का २८)

(तीन) ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, १९७० (१९७० का ३७)

(चार) कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३)

(पाँच) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४)

(छह) अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, १९७९ (१९७९ का ३०)

(सात) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१ (१९६१ का २७)
को और संशोधित करने हेतु तथा अन्य श्रम विधियों के संबंध में प्रकीर्ण उपबंध करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, २०१५ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

भाग दो
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, १९९६ का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९९६ का २७ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, १९९६ (१९९६ का २७) (जो इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इस भाग में, इसके पश्चात् उपबन्धित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा ७ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम में, धारा ७ में, उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(३क) यदि आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से विहित कालावधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थापना के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है, तो सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकरण कर दिया गया समझा जाएगा.".

भाग तीन

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, १९९६ का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९९६ का २८ का संशोधन.

४. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, १९९६(१९९६ का २८) (जो इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इस भाग में, इसके पश्चात् उपबन्धित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा ३ और ११ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम में,—

(एक) धारा ३ में, उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१क) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी कारखाने में प्रयुक्त किए जाने के उद्देश्य से संयंत्रों और मशीनरी के क्रय तथा परिवहन पर उपगत लागत और ऐसी अन्य लागतों को, जो कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी नियोजक द्वारा उपगत सन्निर्माण की लागत से अपवर्जित कर दिया जाएगा.";

(दो) धारा ११ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा ५ के अधीन किए गए किसी निर्धारण आदेश से या धारा ९ के अधीन किए गए शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश से व्यथित कोई नियोजक, ऐसे समय के भीतर, जो कि विहित किया जाए, उस अपील प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाए तथा ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अपील कर सकेगा.".

भाग चार

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९७० का ३७ का संशोधन.

६. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० (१९७० का ३७) (जो इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इस भाग में, इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा ७ और १३ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम में,—

(एक) धारा ७ में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(३) उपधारा (१) के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से ३० दिन की कालावधि के भीतर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने या उससे इंकार करने या मंजूर करने में आक्षेप करने या संशोधन करने का आदेश पारित करने में असफल रहता है, तो ऐसा स्थापन, जिसके संबंध में ऐसा आवेदन किया गया है, सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया समझा जाएगा.";

(दो) धारा १३ में, उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात् :—

"(४) उपधारा (१) के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, उस स्थापन के संबंध में, जिसके संबंध में आवेदन किया गया है, यदि अनुज्ञापन अधिकारी आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से ३० दिन की कालावधि के भीतर अनुज्ञप्ति देने या उससे इंकार करने या उसे मंजूर करने में आक्षेप करने या उसे नवीकृत करने या संशोधित करने का कोई आदेश देने में असफल रहता है तो ठेकेदार को सम्यक् रूप से अनुज्ञप्ति दे दी गई समझी जाएगी.".

भाग पांच

कारखाना अधिनियम, १९४८ का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९४८ का ६३ का संशोधन.

८. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३) (जो इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), को, इस भाग में, इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा ६५, ६६ और ७९ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम में,—

(एक) धारा ६५ में,—

(क) उपधारा (२) का लोप किया जाए;

(ख) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(३) (क) धारा ५१, ५२, ५४ और ५६ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी वयस्क पुरूष कर्मकार को, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन रहते हुए किसी कारखाने में, सप्ताह में, ४८ घण्टों से अधिक कार्य करने की अनुमति दी जा सकेगी :—

(एक) किसी भी दिन कार्य के कुल घंटे बारह से अधिक न हों;

(दो) विश्राम अंतराल को मिलाकर किसी एक दिन में काम का विस्तार तेरह घंटों से अधिक नहीं हो;

(तीन) अतिकाल को मिलाकर, किसी सप्ताह में कार्य के कुल घंटे साठ से अधिक नहीं हों;

(चार) किसी कर्मकार को, एक समय में सात दिन से अधिक का अतिकाल काम करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और किसी तिमाही में अतिकाल काम के कुल घंटे एक सौ पच्चीस से अधिक नहीं हों;

(पाँच) ऐसा अतिकाल काम किसी कर्मकार के लिये अनिवार्य या बाध्यकर नहीं होगा.

(ख) अधिष्ठाता, कर्मकारों के काम के घंटों और अतिकाल काम की जानकारी ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, संधारित करेगा.

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा में ''तिमाही'' का वही अर्थ होगा जैसा कि धारा ६४ की उपधारा (४) में दिया गया है.'';

(दो) धारा ६६ में,—

(क) उपधारा (१) में, खण्ड (ख) और परन्तुक का लोप किया जाए;

(ख) उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(१क) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, उन महिलाओं, की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनसे रात ८ बजे से सुबह ६ बजे के बीच किसी कारखाने अथवा विनिर्माण प्रक्रिया में काम करने की अपेक्षा की जाती है या काम करने की अनुज्ञा दी जाती है.'';

(तीन) धारा ७९ में, उपधारा (१) और स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा और स्पष्टीकरण स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(१) प्रत्येक कर्मकार को, जिसने एक कलैंडर वर्ष के दौरान किसी कारखाने में १८० दिन या अधिक की कालावधि तक कार्य किया है, उसी कलैंडर वर्ष के दौरान निम्नलिखित दर पर संगणित दिन की मजदूरी सहित छुट्टी लेने की अनुज्ञा दी जाएगी—

(एक) किसी वयस्क की दशा में, एक कलैंडर वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए प्रत्येक बीस दिन के काम के लिए एक दिन;

(दो) किसी बालक की दशा में एक कलैंडर वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए प्रत्येक पंद्रह दिन के काम के लिये एक दिन.

स्पष्टीकरण १—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए—

(क) करार या संविदा द्वारा अथवा स्थायी आदेशों के अधीन यथा अनुज्ञात कामबंदी के कोई दिन;

(ख) स्त्री कर्मकार की दशा में, बारह सप्ताह से अनधिक के लिये प्रसूति छुट्टी के कोई दिन; और

(ग) जिस वर्ष छुट्टी का उपभोग किया जाता है उससे पूर्ववर्ती वर्ष में उपार्जित छुट्टी,

१८० या अधिक दिनों की कालावधि की संगणना के प्रयोजन के लिये ऐसे दिन समझे जाएंगे जिनमें कर्मकार के कारखानों में काम किया है.".

भाग छह

औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९४७ का १४ का संशोधन.

१०. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४) (जो इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इस भाग में, इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा २क, २५च, और २५ट का संशोधन.

११. मूल अधिनियम में,—

(एक) धारा २-क में, उपधारा (३) में, शब्द "श्रम न्यायालय या अधिकरण" के स्थान पर, शब्द "श्रम न्यायालय या अधिकरण या सुलह अधिकारी" स्थापित किए जाएं;

(दो) धारा २५ च में,—

(क) खण्ड (क) में, शब्द "एक महीने की सूचना" के स्थान पर शब्द "तीन महीने की सूचना" स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ख) कर्मकार को छंटनी के समय ऐसा प्रतिकर दे दिया गया हो जो निरन्तर सेवा के हर संपूरित वर्ष के लिये या छह मास से अधिक के उसके किसी भाग के लिए पंद्रह दिन के औसत वेतन के बराबर या उसके तीन मास के औसत वेतन की राशि के, जो भी अधिक हो, बराबर हो; और";

(तीन) धारा २५ ट में, उपधारा (१) में, शब्द "एक सौ" के स्थान पर, शब्द "तीन सौ" स्थापित किए जाएं.

भाग सात

अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, १९७९ का संशोधन.

१२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियम और सेवा शर्त) अधिनियम, १९७९ (१९७९ का ३०) (जो इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इस भाग में इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९७९ का ३० का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम में, धारा ४ में, उपधारा (३) में, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

धारा ४ का संशोधन.

"परन्तु यदि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा उपधारा (१) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाता है, तब रजिस्ट्रीकरण सम्यक् रूप से कर दिया गया समझा जाएगा.".

भाग आठ

मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१ का संशोधन

१४. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१ (१९६१ का २७) (जो इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को, इस भाग में इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९६१ का २७ का संशोधन.

१५. मूल अधिनियम में, धारा ३ में, उपधारा (२) में, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

धारा ३ का संशोधन.

"परन्तु यदि विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं कि.या गया है तो रजिस्ट्रीकरण सम्यक् रूप से कर दिया गया समझा जाएगा.".

भाग नौ

कतिपय श्रम विधियों के अधीन अपराधों का प्रशमन तथा विचारण का उपशमन

मध्यप्रदेश राज्य में कतिपय श्रम विधियों के अधीन अपराधों का प्रशमन.

१६. (१) निम्नलिखित अधिनियमों, अर्थात् :—

(एक) समान पारिश्रमिक अधिनियम, १९७६ (१९७६ का २५);

(दो) श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ५१);

(तीन) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ११);

(चार) मजदूरी संदाय अधिनियम, १९३६ (१९३६ का ४);

(पांच) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, १९७६ (१९७६ का ११); में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी,—

(क) इन अधिनियमों के अधीन प्रथम बार कारित किए गए अथवा पूर्व में कारित केवल जुर्माने से दण्डनीय किसी अपराध का, (यदि कोई हो), दो वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात्, अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व अथवा उसके पश्चात् जुर्माने की अधिकतम राशि से अनधिक किन्तु अपराध के लिए अधिकतम जुर्माने के आधे से अन्यून प्रशमन शुल्क की ऐसी राशि वसूल करके जैसी कि वह उचित समझे, प्रशमन कर सकेगा, अथवा

(ख) इन अधिनियमों के अधीन प्रथम बार कारित किए गए, कारित जुर्माने तथा तीन मास तक के कारावास से दण्डनीय अपराध का या तो अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, एक मास तक के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए न्यूनतम रुपए १०,००० के अध्यधीन रहते हुए अधिकतम जुर्माने की दस गुना के बराबर राशि, दो मास तक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिए रुपए २०,००० अथवा तीन मास तक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिए रुपए ३०,००० की राशि वसूल करके प्रशमन कर सकेगा.

(२) अपराध का—

(एक) अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व, इस प्रकार प्रशमन हो जाने पर अपराधी अभियोजन का भागी नहीं होगा और यदि वह अभिरक्षा में है तो मुक्त कर दिया जाएगा;

(दो) अभियोजन संस्थित हो जाने के पश्चात् इस प्रकार प्रशमन हो जाने पर प्रशमन के परिणाम स्वरूप अपराधी उन्मोचित हो जाएगा.

भाग दस

विभिन्न प्रकार की पंजियों के संधारण तथा विभिन्न प्रकार की विवरणियां प्रस्तुत किए जाने से छूट

मध्यप्रदेश राज्य में कतिपय श्रम विधियों के अधीन विभिन्न प्रकार की पंजियों के संधारण तथा विभिन्न प्रकार की विवरणियां प्रस्तुत किए जाने से छूट.

१७. निम्नलिखित अधिनियमों, अर्थात् :—

(एक) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० (१९७० का ३७);

(दो) समान पारिश्रमिक अधिनियम, १९७६ (१९७६ का २५);

(तीन) कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३);

(चार) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४);

(पांच) अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन ओर सेवा शर्त) अधिनियम, १९७९ (१९७९ का ३०);

(छह) श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ५१);

(सात) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ५३);

(आठ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ११);

(नौ) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१ (१९६१ का २७)

(दस) बोनस संदाय अधिनियम, १९६५ (१९६५ का २१);

(ग्यारह) उपदान संदाय अधिनियम, १९७२ (१९७२ का ३९);

(बारह) मजदूरी संदाय अधिनियम, १९३६ (१९३६ का ४);

(तेरह) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, १९७६ (१९७६ का ११), के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, आदेश द्वारा, उक्त अधिनियमों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत विहित प्ररूपों के बदले में किसी नियोक्ता अथवा स्थापन द्वारा पंजियां तथा अभिलेख संधारित करने और विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप बना सकेगी अथवा अधिसूचित कर सकेगी :

परन्तु राज्य सरकार, कम्प्यूटरीकृत अथवा डिजिटल फार्मेट में पंजियां और अभिलेख संधारित करने की अनुज्ञा दे सकेगी.

भाग ग्यारह

प्रकीर्ण उपबंध

नियम बनाने की शक्ति.

१८. (१) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वयित करने के प्रयोजन से नियम बना सकेगी.

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम उनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.

कठिनाईयों का दूर किया जाना.

१९. (१) इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अन् असंगत ऐसे उपबंध बना सकेगी जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हों.

(२) उपधारा (१) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक प्रक्रिया को सरल बनाने और अधिनियमों में उपबंधों के दोहराव को रोकने तथा कर्मकारों के हित में समुचित संरक्षण का उपबंध करने के उद्देश्य से कतिपय श्रम विधियों में संशोधन करने के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है.

(२) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, १९९६ (१९९६ का २७) की धारा ७ की उपधारा (३) के अधीन स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध अधिकथित हैं, परन्तु ऐसा रजिस्ट्रीकरण जारी करने के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं है और इसलिये ऐसा आवेदन संबंधित कार्यालय में अनिश्चित समय तक लंबित रहने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है. इस कमी को दूर करने के लिए और रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिये उपधारा (३ क) के रूप में एक अतिरिक्त उपबंध जोड़ा जाना प्रस्तावित है, जिससे यदि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है तो विहित समय-सीमा के पश्चात् अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण कर दिया गया समझा जाएगा.

३(१) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, १९९६ (१९९६ का २८) की धारा ३ की उपधारा (१) में किसी नियोक्ता द्वारा उपगत सन्निर्माण की लागत पर उपकर उद्ग्रहित करने का उपबंध है परन्तु इस संबंध में कि सन्निर्माण की वास्तविक लागत क्या होनी चाहिए. कोई वर्गीकरण न होने के कारण, उपकर का निर्धारण बहुत से अधिकारियों द्वारा विभिन्न (मनमानी) रीतियों में सन्निर्माण की लागत की संगणना द्वारा किया जा रहा है. ऐसी कठिनाईयों को दूर करने के लिए, धारा ३ की एक अतिरिक्त उपधारा (१क) प्रस्तावित की जा रही है जिसमें संयंत्र और मशीनरी बाहर से क्रय करने पर नियोक्ता द्वारा उपगत राशि, जो सन्निर्माण का भाग नहीं है और ऐसी अन्य अतिरिक्त लागत सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जाएगी और सन्निर्माण की लागत का भाग नहीं होगी.

(२) धारा ११ की उपधारा (१) में, निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील का उपबंध अभिकथित है और प्रक्रिया, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकरण नियम, १९९८ के नियम १४ में है. उसमें प्रक्रिया जटिल प्रतीत होती है क्योंकि यदि यह पूर्ण रूप से विवाद-ग्रस्त हो तो भी नियोक्ता को निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेशित उपकर की संपूर्ण राशि जमा करना होती है और उसे अपील शुल्क भी जमा करना होता है. अतएव, ऐसी प्रक्रियात्मक कठिनाई को दूर करने के लिए, अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (१) के प्रस्तावित स्थापन के माध्यम से राज्य सरकार को अपील की प्रक्रिया में संशोधन विहित करने के लिए सशक्त किया जा रहा है.

४. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० (१९७० का ३७) की धारा ७ की उपधारा (२) और धारा १३ की उपधारा (३) में, मूल नियोक्ता के रजिस्ट्रीकरण और ठेकेदारों के लिए अनुज्ञप्ति के उपबंध अधिकथित हैं, परन्तु उसके जारी किए जाने के लिए कोई समय सीमा विहित नहीं है और इस कारण ऐसे आवेदन में अनिश्चितकाल तक विलम्ब होने की संभावना बनी रहती है. ऐसी प्रक्रियात्मक कठिनाईयों को दूर करने के लिए और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिये धारा ७ और १३ के अधीन अतिरिक्त उपबंध जोड़ा जाना प्रस्तावित किया जा रहा है जिससे कि यदि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण हो और इस कालावधि के दौरान कोई आपत्ति नहीं की गई हो तो ३० दिन की समय-सीमा में स्वीकृत समझा जाएगा.

५(१) कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३) की धारा ६५ की उपधारा (१) में, किसी कर्मकार के अतिकाल कार्य की कालावधि में कोई छूट देने के लिए शक्तियां सरकार और मुख्य निरीक्षक में निहित हैं और ऐसे अतिकाल कार्य के लिए शर्तें भी अधिकथित हैं. ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक कारखाने को अलग-अलग आवेदन करना होता है और लम्बी जटिल प्रक्रिया से गुजरना होता है. अतिकाल की अवधि बढ़ाकर ऐसे नियोक्ताओं को सुविधा देने के लिए और अतिकाल के लिये प्राप्त होने वाली मजदूरी की दर को दुगुना करके कर्मकार की उत्पादकता और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, कार्य के घंटे तथा अतिकाल के घंटे बढ़ाने और उसकी शर्तों के लिये उपबंध धारा ६५ की उपधारा (३) के अधीन विहित किए जा रहे हैं और धारा ६५ की उपधारा (२) का लोप किया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है.

यह भी प्रस्तावित किया जा रहा है कि किसी भी कर्मकार को अतिकाल कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जाए और अधिभोगी को इन उपबंधों के दुरुपयोग को रोकने कें लिये विहित प्ररूप में काम के घंटे और अतिकाल का रिकार्ड संधारित करना होगा.

(२) धारा ६६ की उपधारा (१) के खण्ड (क) एव (ख) में, रात की पारी में महिलाओं के लिए कार्य के निर्बंधन के संबंध में उपबंध अधिकथित हैं. ये उपबंध वर्तमान परिदृश्य में, महिलाओं की प्रास्थिति और उनमें जागरूकता के कारण पुराने हो गए हैं. महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए और रात की पारी में कार्य करने वाली महिलाओं की कठिनाई को दूर करने के लिए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते समय, रात ८ बजे से सुबह ६ बजे के बीच उन्हें कार्य करने की अनुमति देने के लिए उपबंध धारा ६६ में प्रस्तावित किए जा रहे हैं. राज्य सरकार द्वारा भी रात की पारी के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए उपबंध सुनिश्चित किए जाएंगे.

(३) धारा ७९ की उपधारा (१) में मजदूरी सहित वार्षिक छुट्‌टी के उपबंध विहित किए गए हैं किन्तु उसके केवल २४० दिनों की पूर्ण सेवा के पश्चात् ही आगामी कैलेण्डर वर्ष से किसी कर्मकार की मजदूरी सहित वार्षिक छुट्‌टी का उपबंध है. उसे कर्मकारों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, यह प्रस्तावित है कि धारा ७९ में संशोधन करके कर्मकारों की सेवा के १८० दिनों को पूर्ण करने के पश्चात् उसी कलेण्डर वर्ष से मजदूरी सहित छुट्‌टी का अभिलाभ मिले.

६. (१) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४) की धारा २ क में, निजी विवादों के उठाने के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है और कभी-कभी विवाद कई वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् उठाए जाते हैं जिससे ऐसे विवादों के निपटारे में कठिनाईयां होती हैं. अतएव, यह प्रस्तावित किया गया है कि धारा २क के अधीन आने वाले औद्योगिक विवाद उठाने के लिये तीन वर्ष की समय-सीमा भी उपबंधित की जाए.

(२) विद्यमान धारा २५-च में कर्मकारों को उनकी छंटनी के पूर्व तीन मास का नोटिस या नोटिस के स्थान पर नोटिस की कालावधि के लिये मजदूरी दिए जाने का प्रावधान है. कर्मकारों के हित में इस उपबंध को संशोधित किया जाकर यह प्रस्तावित है कि धारा २५-च के खण्ड (ख) को संशोधित किया जाए ताकि छंटनी की दशा में, कर्मकारों को तीन मास का नोटिस तथा कम से कम तीन मास की मजदूरी दी जाए. यह उपबंध कर्मकारों को उनकी छंटनी की दशा में, परिवर्तन की कालावधि के दौरान, अत्यधिक आवश्यक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा.

(३) धारा २५-ट अधिनियम के अध्याय पांच ख के लागू होने का उपबंध करता है तथा यह अध्याय ऐसे औद्योगिक स्थापन को, (जो केवल सामयिक प्रकृति के न हों या जिनमें सतत रूप से कार्य सम्पन्न नहीं किया जाता हो, की स्थापना न हो) जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में औसत प्रत्येक कार्य दिवस पर ''एक सौ'' से अनधिक कर्मकार नियोजित रहे हों, को लागू होगा. ऐसे स्थापनों में, नियोजक द्वारा, कामबंदी, छंटनी और बंद किए जाने के पूर्व राज्य शासन की पूर्व मंजूरी अभिप्राप्त किया जाना आवश्यक है. संशोधन द्वारा कर्मकारों की संख्या १०० से ३०० तक बढ़ाना प्रस्तावित है. जो नियोजकों को स्थापन के रोल पर नियमित कर्मकारों की अधिक संख्या नियोजित करने में सहायता तथा उसे प्रोत्साहित तथा ऐसी अनुमतियां प्राप्त करने की बांछा रखने वाले छोटे स्थापनों के लिए प्रक्रिया संबंधी कठिनाईयों को भी दूर करेगा.

७. अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, १९७९ (१९७९ का ३०) की धारा ४ की उपधारा (३) में, विद्यमान उपबंध स्थापन के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया विहित करता है किन्तु ऐसा रजिस्ट्रीकरण जारी करने के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे आवेदन अनिश्चित कालावधि के लिए लम्बित बने रह सकते हैं. अतएव, पारदर्शिता बनाए रखने तथा ऐसी प्रक्रियात्मक कमी को दूर करने के लिए ३० दिन की समय-सीमा विहित करने के लिए एक अतिरिक्त परन्तुक अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिससे कि यदि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा यदि कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है तो, रजिस्ट्रीकरण सम्यक रूप से कर दिया गया समझा जाएगा.

८. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१ (१९६१ का २७) की धारा ३ की उपधारा (२) में, विद्यमान उपबंध स्थापन के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया विहित करता है किंतु ऐसा रजिस्ट्रीकरण जारी करने के लिये कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे आवेदन अनिश्चित कालावधि के लिये लंबित बने रह सकते हैं. अतएव, पारदर्शिता बनाए रखने तथा ऐसी प्रक्रियागत कमी को दूर करने के लिए, ३० दिन की समय-सीमा विहित करने के लिए एक अतिरिक्त परन्तुक अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिससे कि यदि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा यदि कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है तो रजिस्ट्रीकरण सम्यक् रूप से कर दिया गया समझा जाएगा.

९. यह देखा गया है कि विभिन्न श्रम विधियों में विद्यमान उपबंधों के अधीन, अपराधों के प्रशमन के लिए कोई उपबंध नहीं है, परिणामस्वरूप अभियोजन मामलों की संख्या अधिक हो रही है, जिसके कारण सरकारी अधिकारियों और साथ ही नियोक्ताओं के कीमती समय का भी अपव्यय होता है. शास्तियों और केवल ३ मास तक के कारावास वाले अपराधों के तीव्र निपटारे के लिए और वादों की संख्या को कम से कम करने के लिए, केवल ऐसे अधिनियमों में जिनमें शास्ति और केवल ३ मास तक के कारावास का उपबंध है, श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रशमन के माध्यम से ऐसे मामलों के विनिश्चय के लिए उपबंध प्रस्तावित किए जा रहे हैं.

१०. उद्योगों और वाणिज्यिक स्थापनों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए और अनेक श्रम विधियों के उपबंधों का पालन करने के लिये और अधिक प्रभावी प्रणाली सुनिश्चित करते समय अनेक श्रम विधियों के अधीन सरलीकृत पंजियों तथा विवरणियों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह प्रस्तावित है कि ऐसे उपबंध किए जाएं जिनमें नियोजकों से पंजियों, अभिलेखों तथा विवरणियों के केवल छोटे, सरल एकीकृत फार्मेट संधारित करने की अपेक्षा की जाए और उन्हें कम्प्यूटरीकृत व डिजिटल फार्मेट में संधारित करने की भी अनुज्ञा होगी.

११. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपालः
तारीख १८ जुलाई, २०१५.

अंतरसिंह आर्य
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खंडों द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही है उनका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड ३ —आवेदन प्रस्तुत किए जाने की कालावधि निहित किए जाने;

खण्ड ५—अपील प्रस्तुत करने हेतु समय-सीमा एवं प्रारूप विहित किए जाने की रीति विनिर्दिष्ट किए जाने;

खण्ड ९.३(ख)—काम के घंटों और अतिकाल काम की जानकारी की रीति विहित किए जाने;

खण्ड १७.(तेरह)—नियोक्ता अथवा स्थापना द्वारा पंजियों तथा अभिलेख संधारित करने और विवरणियां प्रस्तुत करने के लिये प्रारूप विहित किए जाने;

१८. नियम बनाये जाने;

१९. कठिनाइयों को दूर किए जाने;

के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकेगी जो सामान्य स्वरुप के होंगे.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

१. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, १९९६ से उद्धरण

धारा - ७(३) उपधारा (१) के अधीन किसी आवेदन के प्राप्त होने के पश्चात्, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी स्थापन को रजिस्टर करेगा और उसके नियोजक को ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा.

२. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, १९९६ से उद्धरण

धारा - ३(१) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, १९९६ के प्रयोजनों के लिये उपकर का उद्‌ग्रहण और संग्रहण किसी नियोजक द्वारा उपगत सन्निर्माण की लागत के दो प्रतिशत से अनधिक किन्तु एक प्रतिशत से अन्यून ऐसी दर से किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट करें.

धारा - ११(१) धारा ५ के अधीन किए गए निर्धारण के किसी आदेश से या धारा ९ के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिये किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई नियोजक, ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, ऐसे अपील प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से अपील कर सकेगा, जो विहित की जाए.

३. ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, १९७० से उद्धरण

धारा - ७(२) यदि पंजीकरण का आवदेन सभी प्रकार से पूर्ण है तो पंजीकरण अधिकारी उस संस्थान का पंजीकरण करेगा और संस्थान के मुख्य नियोक्ता को पंजीकरण का एक प्रमाण पत्र देगा, जिसमें ऐसी सूचनाएं होंगी, जो निर्धारित की जाएं.

धारा - १३(३) इस अध्याय के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञा उसमें उल्लिखित अवधि के लिये मान्य होगी और उसका समय-समय पर नवीकरण ऐसी अवधि के लिये और ऐसी फीस देने पर तथा ऐसी शर्तों पर किया जा सकेगा, जो निर्धारित की जाएं.

४. कारखाना अधिनियम, १९४८ से उद्धरण

धारा - ६५ छूट के आदेश देने की शक्ति

(१) जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किए जाने वाले काम की प्रकृति या अन्य परिस्थितियों के कारण यह अपेक्षा करना अयुक्तियुक्त होगा कि किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों में किन्हीं वयस्क कर्मकारों के काम की कालावधियाँ पहले ही नियत की जाएँ वहाँ वह उसमें के ऐसे कर्मकार के बारे में धारा ६१ के उपबंधों को इतने विस्तार तक और ऐसी रीति में, जैसी वह उचित समझे, और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी वह काम की कालावधियों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिये समीचीन समझे, लिखित आदेश द्वारा शिथिल या उपान्तरित कर सकेगी.

(२) राज्य सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन मुख्य निरीक्षक किसी कारखाने या किसी समूह या वर्ग या प्रकार के कारखानों में के सब या किन्हीं वयस्क कर्मकारों को धारा ५१, ५२, ५४ और ५६ के सब या किन्हीं उपबन्धों से ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी वह समीचीन समझे, लिखित आदेश द्वारा छूट इस आधार पर दे सकेगा कि उस कारखाने या उन कारखानों को काम के किसी असाधारण दबाव का सामना करने के लिये समर्थ बनाने के लिये ऐसी छूट देना आवश्यक है.

(३) उपधारा (२) के अधीन दी गई कोई छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात् :—

(प) किसी दिन काम के घण्टों की कुल संख्या १२ से अधिक नहीं होगी,

(पप) विश्राम के लिए अन्तरालों सहित विस्तृति किसी एक दिन तेरह घण्टों से अधिक नहीं होगी,

(पपप) किसी सप्ताह में काम के घण्टों की कुल संख्या, जिसके अन्तर्गत अतिकाल भी है, साठ से अधिक नहीं होगी.

(पअ) किसी भी कर्मकार को लगातार सात दिन से अधिक अतिकाल काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और एक तिमाही में अतिकाल काम करने के घण्टों की कुल संख्या पचहत्तर से अधिक नहीं होगी.

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा में ''तिमाही'' का वही अर्थ है जो धारा ६४ की उपधारा (४) में है.

धारा - ६६ स्त्रियों के नियोजन पर अतिरिक्त निर्बन्धन.—

(१) कारखानों में स्त्रियों को लागू होने में इस अध्याय के उपबंधों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त निर्बन्धन भी होंगे, अर्थात्—

(क) किसी स्त्री के बारे में धारा ५४ के उपबन्धों से कोई छूट नहीं दी जाएगी,

(ख) किसी कारखाने में किसी स्त्री से ६ बजे प्रातः और ७ बजे सायं के बीच के घण्टों के अलावा किसी और समय पर काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे काम करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी परन्तु राज्य सरकार किसी कारखाने, या कारखानों के समूह या वर्ग या प्रकार के कारखानों के बारे में खण्ड (ख) में अधिकथित सीमाओं में फेरफार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी, किन्तु इस प्रकार की ऐसी फेरफार दस बजे सायं और पाँच बजे प्रातः के बीच के घण्टों में किसी स्त्री के नियोजन को प्राधिकृत न करे.

(ग) कोई पारी किसी साप्ताहिक अवकाश दिन या किसी अन्य अवकाश दिन के पश्चात् बदलने के सिवाय नहीं बदली जाएगी.

धारा - ७९ मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी—(१) हर कर्मकार को, जिसने किसी कलैण्डर वर्ष के दौरान किसी कारखाने में 240 या अधिक दिनों की कालावधि तक काम किया है, पश्चातवर्ती कलैण्डर वर्ष के दौरान इतने दिनों के लिये मजदूरी सहित छुट्टी अनुज्ञात की जाएगी जितने निम्नलिखित दर से परिकलित होंगे.—

(प) यदि वह वयस्क है, तो पूर्ववर्ती कलैण्डर वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए काम के हर बीस दिन के लिये एक दिन,

(पप) यदि वह बालक है तो पूर्ववर्ती कलैण्डर वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए काम के हर पन्द्रह दिन के लिये एक दिन.

स्पष्टीकरण १—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए—

(क) करार या संविदा द्वारा अथवा स्थायी आदेशों के अधीन तथा अनुज्ञात कामबन्दी के कोई दिन,

(ख) स्त्री कर्मकार की दशा में, बारह सप्ताह के अनधिक के लिए प्रसूति छुट्टी के कोई दिन और (ग) जिस वर्ष छुट्टी का उपभोग किया जाता है, उससे पूर्ववर्ती वर्ष में उपार्जित छुट्टी २४० या अधिक दिनों की कालावधि की संगणना के प्रयोजन के लिए ऐसे दिन समझे जाएंगे जिनमें कर्मकार ने कारखानों में काम किया है, किन्तु इन दिनों के लिए वह छुट्टी उपार्जित नहीं करेगा.

५. औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ से उद्धरण

धारा-२-ए(३) उपधारा (२) में निर्दिष्ट आवेदन उन्मोचन, पदच्युति, छंटनी या सेवा के अन्यथा पर्यवसान से, जैसा कि उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट है, तीन वर्ष के पर्यवसान के पूर्व श्रम न्यायालय या अधिकरण के समक्ष किया जायेगा.

धारा-२५-च कर्मकारों की छटनी के लिये पुरोभाव्य शर्तें-किसी उद्योग में नियोजित किसी भी कर्मकार की, जो नियोजक के अधीन कम से कम एक वर्ष के लिए निरन्तर सेवा में रह चुका है, छंटनी उस नियोजक द्वारा तब के सिवाय नहीं की जाएगी, जबकि—

(क) कर्मकार को एक महीने की ऐसी लिखित सूचना दी गई हो जिसमें छटनी के कारण उपदर्शित किये गये हो और सूचना की कालावधि का अवसान हो गया, या ऐसी सूचना के बदले में कर्मकार को सूचना की कालावधि के लिये मजदूरी दे दी गई हो,

(ख) कर्मकार को छंटनी के समय ऐसा प्रतिकर दे दिया गया हो जो निरंतर सेवा के हर संपूरित वर्ष के लिये या छह मास से अधिक के उसके किसी भाग के लिए पन्द्रह दिन के औसत वेतन के बराबर हो, तथा

धारा-२५ ट अध्याय ५ख का लागू होना—

(१) इस अध्याय के उपबन्ध ऐसे औद्योगिक स्थापन को, (जो मौसमी प्रकार का नहीं है या ऐसा स्थापन नहीं है, जिसमें काम केवल अन्तरायिक रूप से होता है) लागू होंगे इसमें पूर्ववर्ती बारह मास में प्रति कार्य-दिवस को औसतन कम से कम एक सौ कर्मकार नियोजित थे.

(२) यदि यह प्रश्न उठे कि कोई औद्योगिक स्थापन मौसमी प्रकार का है या नहीं अथवा उसमें काम केवल आन्तरायिक रूप से होता है या नहीं तो उस पर समुचित सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा.

६. अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, १९७९ से उद्धरण

धारा-४ (३) उपधारा (१) के अधीन किसी स्थापना के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन को पंजीयन अधिकारी द्वारा यदि १ माह की समयावधि में उपधारा (२) के अथवा उक्त उपधारा के कंडिका (ब) के अंतर्गत वापस नहीं किया जाता है तो पंजीयन अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति से १५ दिवस की समयावधि में प्रमुख नियोजक से प्राप्त आवेदन पर स्थापना का पंजीकरण करेगा एवं पंजीयन का प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में जारी करेगा.

७. मोटर यातायात कर्मकार अधिनियम, १९६१ से उद्धरण.

धारा-३(२) मोटर परिवहन उपक्रम के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन, नियोजक द्वारा विहित प्राधिकारी से ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर किया जाएगा, जो विहित किया जाए.

* * * * * * * *

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.